29.05.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
प्रतिवादी तहसीलदार झौंथरीपाल की
ओर से जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
वकील वादी ने वादी एवं प्रतिवादीगण
के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा
होना बताते हुए प्रकरण को निस्तारण
करने बाबत् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।
तहसीलदार झौंथरीपाल द्वारा प्रस्तुत
जाँच रिपोर्ट में भी वादी एवं प्रतिवादीगण
द्वारा आपसी राजीनामा होना बताया
है।

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा
के प्रार्थना-पत्र एवं तहसीलदार झौंथरीपाल
द्वारा रिपोर्ट से वादी एवं प्रतिवादीगण के
मध्य राजीनामा होना जाहिर होता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

अतः प्रकरण राजीनामा के प्रार्थना-पत्र
के आधार पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा